

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम और क्षेत्रगत ऋण नियोजन पर त्रैमासिक विवरण

पिछले 31 मार्च को समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) (राशि रु. हजार में)

पिछले 31 मार्च को तुलन-पत्र एक्सपोजर से इतर राशि से समतुल्य ऋण (राशि रु. हजार में)

वास्तविक अर्थों में खातों की सं. और राशि हजार रूपए में

1.	क्रम सं.	वर्ग	अन्य ब्योरा	तिमाही के अंत में बकाया	
2.				खातों की सं.	बकाया शेष
3.	1.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	I+II+III+IV+V (और 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के मामले में VI)		
4.	I	कृषि	अ + आ		
5.	अ	कृषि-प्रत्यक्ष	(i)+(ii)+(iii)		
6.	(i)	फसल ऋण			
7.	(ii)	निवेश ऋण			
8.	(iii)	संबद्ध गतिविधियां			
9.		प्रत्यक्ष कृषि में से सीमांत किसानों को ऋण			
10.		प्रत्यक्ष कृषि में से छोटे किसानों को ऋण			
11.		प्रत्यक्ष कृषि में से अन्य प्रत्येक किसानों को ऋण			
12.		प्रत्यक्ष कृषि में से कोर्पोरेट, भागीदारी फर्म और अन्य संस्थानों को ऋण			
13.	आ	कृषि - अप्रत्यक्ष	आ.1 + आ.2		
14.	आ.1	कोर्पोरेट, भागीदारी फर्म और अन्य संस्थानों को ऋण	(i)+(ii)+(iii)		

15.	(i)	फसल ऋण			
16.	(ii)	निवेश ऋण			
17.	(iii)	संबद्ध गतिविधियां			
18.	आ.2	अन्य अप्रत्यक्ष कृषि ऋण			
19.	II	माइक्रो और लघु उद्यम			
20.	(i)	विनिर्माण उद्यम (क+ख+ग)			
21.	(क)	माइक्रो 1 (अर्थात् उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में 10 लाख रु तक निवेश हो)			
22.	(ख)	माइक्रो 2 (अर्थात् उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में 10 लाख रु. से अधिक और 25 लाख रु. तक के निवेश हो)			
23.	(ग)	लघु (अर्थात् उद्यम जिनका संयंत्र और मशीनरी में 25 लाख रु. से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक का निवेश हो)			
24.	(ii)	सेवा उद्यम (2 करोड़ रु. तक की सेवाओं हेतु ऋण) (क+ख+ग)			
25.	(क)	माइक्रो 1 (अर्थात् उद्यम जिनका उपस्कर में 4 लाख रु. तक का निवेश हो)			
26.	(ख)	माइक्रो 2 (अर्थात् उद्यम जिनका उपस्कर में 4 लाख रु. से अधिक और 10 लाख रु. तक का निवेश हो)			
27.	(ग)	लघु (अर्थात् उद्यम जिनका उपस्कर में 10 लाख रु. से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक का निवेश हो)			

28.	(iii)	केवीआई को अग्रिम			
29.		कुल एमएसई (सेवा) उधार में से खुदरा व्यापार को अग्रिम			
30.		कुल एमएसई, एमएफआई के माध्यम से ऋण			
31.		कुल एमएसई, प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों में निर्धारण/ खरीद और निवेश			
32.	III	शैक्षिक ऋण			
33.	IV	आवासीय ऋण			
34.	V	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 'अन्य' वर्ग			
35.	VI	निर्यात (गैर कृषि / एमएसई निर्यात अर्थात् प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल उन निर्यातों से इतर)*			
36.	VII	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों को ऋण			
37.	2	गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण	I+II+III+IV+V+VI+VII		
38.	I	एमएसई सेवा क्षेत्र को गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण (2 करोड़ रु. से अधिक सेवाओं के लिए ऋण)	(i)+(ii)+(iii)		
39.	(i)	माइक्रो 1 (अर्थात् उद्यम जिनका उपस्कर में 4 लाख रु. तक का निवेश हो)			
40.	(ii)	माइक्रो 2 (अर्थात् उद्यम जिनका उपस्कर में 4 लाख रु. से अधिक और 10 लाख रु. तक का निवेश हो)			
41.	(iii)	लघु (अर्थात् उद्यम जिनका उपस्कर में 10 लाख रु.			

		से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक का निवेश हो)			
42.	II	मध्यम उद्यमों को ऋण (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहित)	(i)+(ii)		
43.	(i)	मध्यम उद्यम (विनिर्माण)			
44.	(ii)	मध्यम उद्यम (सेवा)			
45.	III	बड़े उद्योगों को ऋण			
46.	IV	शिक्षा हेतु ऋण - गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र			
47.	V	आवास हेतु ऋण - गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र			
48.	VI	गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अन्य व्यक्तिगत ऋण			
49.	VII	अन्य गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण			
50.	3	3 कुल #	1+2		

* 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक

कुल बैंक ऋण प्लस प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों में रु. ----- का निवेश